सर्वोच्च प्राथमिकता/ई-मेल
संख्या-7/08/नौ-9-2020-58ज/20

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।**
2. **समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उ0प्र0।**
3. **समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0।**

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2020**

विषय-विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी covid-19 के परिप्रेक्ष्य में सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयगत राजस्व विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 198/एक-11-2020-रा-11 दिनांक 24 मार्च, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि मा0 मंत्री समिति द्वारा दिनॉक 20.03.2020 को दी गयी रिर्पोट में की गयी 07 संस्तुतियों के अनुक्रम में है। उपरोक्त रिर्पोट में कतिपय वर्ग के व्यक्तियों को सहायता देने की संस्तुतियां (संस्तुति बिन्दु संख्यावार) की गयी हैं:-

संस्तुति बिन्दु संख्या 2.	प्रदेश के श्रम विभाग में 20.37 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
संस्तुति बिन्दु संख्या 3.	शहरों में घुमंतू प्रकृति जैसे-ठेला, खोमचे, साप्ताहिक बाजार आदि का कार्य करने वाले श्रमिक जिनकी अनुमानित संख्या प्रदेश में लगभग 15 लाख है।
संस्तुति बिन्दु संख्या 5.	मनरेगा के अन्तर्गत प्रदेश में नियमित रूप से कार्य कर रहे परिवार, जिनकी संख्या 88.40 लाख है।
संस्तुति बिन्दु संख्या 6.	प्रदेश में अन्त्योदय योजना के राशनकार्ड धारक, जिनकी संख्या-40.94 लाख है।
संस्तुति बिन्दु संख्या 7.	प्रदेश में लागू विभिन्न पेंशन योजनाओं (वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण पेंशन, निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण हेतु पेंशन) जिनकी कुल संख्या-83.83 लाख है।

तदनुसार उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के कम में बिन्दु संख्या–3 के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 198/एक–11–2020–रा–11 दिनांक 24 मार्च, 2020 के प्रस्तर 6 (II) के अनुसार कार्यवाही करने एवं सूचनायें संकलित किये जाने हेतु पूर्व में ही नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या 425/38–7/2020 दिनांक 23 मार्च, 2020 द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। उपरोक्त के दृष्टिगत सूचना के संकलन के लिये विभिन्न निकाय द्वारा इस आशय की जिज्ञासा व्यक्त की गयी कि COVID-19 के संक्रमण को रोके जाने हेतु निकाय में प्रभावी रूप से लॉकडाउन को सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत अपेक्षित सूचना के संकलन हेतु सर्वे अथवा फार्म भरे जाने हेतु लाभार्थियों को चिन्हित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । उपरोक्त के दृष्टिगत निर्धारित प्रारूप पर सूचना संलग्न कर उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत निम्न मुख्य बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही की जाये:–

1. पथविक्रेताओं के विषयगत सर्वेक्षण/पंजीकरण का कार्य अधिकांश निकायों में कराया गया है। अतएव प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त सर्वे/सत्यापित डेटा की सूची के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र पर सूचना की सही प्रविष्टि किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

2. उपरोक्त सर्वेक्षण/पंजीकरण की सूची के अतिरिक्त निकायों में विभिन्न प्रकार के दैनिक व्यवसाय/कार्यों जैसेकि रिक्शा/तांगा/टैम्पों/आटों/ई–रिक्शा के विषयगत निकाय द्वारा लाइसेन्स दिये जाते है। साथ ही साथ टैम्पों/ई–रिक्शा हेतु संबंधित वाहन/चालक का पंजीकरण परिवहन विभाग में भी उपलब्ध हो सकता है। अतएव उक्त श्रेणी के व्यवसाय/कार्य करने वालों अर्थात दैनिक रूप से कार्य कर जीवनयापन हेतु विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में पूर्व से निकाय अथवा जनपद स्तर पर किसी अन्य विभाग के साथ पंजीकृत व्यक्तियों के डेटा की सूची को भी तदनुसार प्राप्त कर यथाशीध्र निर्धारित प्रारूप पर संकलित किया जा सकता है **(विशेष नोट– निर्माण कार्य के श्रमिकों को इसमें सम्मिलित न किया जाये क्योंकि उपरोक्त हेतु पृथक से श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।)**

3. उपरोक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने में निकाय अन्तर्गत अधिकांशतः इस प्रकार के व्यक्तियों की सूची तैयार की जा सकती है, जोकि दैनिक कार्य करके अपना जीविकोपार्जन करते है। उपरोक्त सूचना संकलन में विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्य कर जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्तियों के विषय में निकाय/जनपदों में उनके संगठन की भी सहायता ली जा सकती है जैसेकि रिक्शा चालक संघ/व्यापार मण्ड़ल/साप्ताहिक बाजार संध/पल्लेदारो के विषयगत बाजार संघ इत्यादि। उपरोक्तानुसार ऐसे संध/यूनियन के पदाधिकारियों के साथ समन्वय कर उनके द्वारा भी तदनुसार निर्धारित प्रारूप पर सूचना संकलित कर निकाय को उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में उक्त को सत्यापित करते हुए तदनुसार सूची तैयार करायी जा सकती है। यह ध्यान रखें की प्रारूप पर संकलन किये जाने में आधार कार्ड न0 के विषयगत यूआईडीएआई द्वारा निर्गत मार्गदार्शिका का अनुपालन किया जायेगा। साथ ही साथ COVID-19 के संक्रमण को

प्रभावी रूप से रोके जाने के विषय में यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि उक्तानुसार आकडों के संग्रहण को प्रभावी रूप से किये जाने में किसी भी प्रकार के कोई आवेदन फार्म सामान्य रूप से वितरित किये जाने का कार्य अथवा इस प्रकार की कोई अन्य गतिविधि किये जाने का कार्य न किया जाये, जिससे कि अनावश्यक रूप से आम जन को उक्त हेतु बाहर आना हो अथवा किसी कार्यालय पर आना हो और नगर में लागू लॉकडाऊन की स्थिति प्रभावित होने की कोई सम्भावना विद्यमान हो अथवा किसी स्थल पर भीड़–भाड़/ जन समूह एकत्रित हो।

4. उक्त कार्य को पूर्ण रूप से इस प्रकार सुनिश्चित किया जाना है कि आरम्भिक चरण में संबंधित व्यक्तियों के विषय में पूर्व से विभिन्न स्तर पर उपलब्ध सूचनाओं एवं संबंधित व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले संध/यूनियन आदि के पदाधिकारी के साथ इस विषय पर समन्वय कर तदनुसार अपेक्षित सूचना तैयार कर ली जाये।

5. जैसा कि राजस्व विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 198/एक–11–2020–रा–11 दिनांक 24 मार्च, 2020 में निर्दिष्ट है, तदनुसार जनपद स्तर पर उपरोक्त लाभार्थियों की सूची का संकलन नगरीय निकायों के विषयगत निम्नवत् सुनिश्चित किया जायेगाः–
(क) समस्त नगर निगमों में नगर आयुक्त द्वारा लाभार्थियों की सूची संकलित करते हुए धनराशि आवंटित किये जाने हेतु उपरोक्त सूची जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त नोडल अपर जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।
(ख) नगर निगमों के अतिरिक्त अन्य स्थानीय निगर निकायों (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) में उपरोक्तानुसार लाभार्थियों की सूची संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी द्वारा तैयार करते हुए निकाय के उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अपर जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

6. जैसाकि राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–198/एक–11–2020–रा0–11 दिनॉक 24.03.2020 के प्रस्तर–4 में वर्णित है कि सहायता देने के बाद भी ऐसे व्यक्ति बच सकते हैं, जिनके पास अपने परिवार के भरण–पोषण की सुविधा नहीं है। उपरोक्त सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा ऐसे शहरी क्षेत्रों में जहॉ नगर निगम है वहॉ नगर निगम एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन किया जायेगा जो ऐसे व्यक्तियों/परिवारों/लाभार्थियों की सूची जिलाधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रेषित करेगी । इसी प्रकार नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के विषयगत जिलाधिकारी द्वारा राजस्व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं सम्बन्धित नगरीय निकाय के अधिकारी की संयुक्त समिति का गठन किया जायेगा। तदनुसार गठित समिति द्वारा अपनी संस्तुति जिलाधिकारी द्वारा इस विषयगत नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से जिलांधिकारी को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जायेगी।

7. कृपया किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन हेतु डॉ0 कॉजल निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय की ई–मेल आई डी0 diruplb2012@gmail.com से समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव:–</u>

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वांछित सूचना संकलित कर प्रत्येक दशा में शासन को यथाशीघ्र आगामी 15 दिनों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. कम्प्यूटर सेल / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।